



HINDUSTAN COPPER LIMITED CIN No. : L27201WB1967GO1028825

ताम्र भवन TAMRA BHAVAN
1, आशुतोष चौधरी एवेन्यू
1, Ashutosh Chowdhury Avenue,
पो.बॉ.सं. P.B.No. 10224
कोलकाता KOLKATA-700 019

भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT.OF INDIA ENTEERPRISE

सं.- HCL/SCY/SE/2016

10.09.2020

वरिष्ठ महाप्रबंधक,
कॉरपोरेट सेवा विभाग,
बी.एस.ई.लिमिटेड,
फिरोज जीजीभवाय टॉवर,
दलाल स्ट्रीट,
मुम्बई- 400 001
BSE Scrip Code 513599

उपाध्यक्ष,
लिस्टिंग विभाग,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.,
एक्सचेंज प्लाजा, सी-1, ब्लॉक-जी,
बांद्रा- कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट),
मुम्बई - 400 051
NSE Symbol : HINDCOPPER

महाशय/महोदया,

10.9.2020 को आयोजित हिन्दुस्तान कॉपर लि.(एचसीएल) के निदेशक मंडल की बैठक का परिणाम निम्नांकित है:

1. बोर्ड ने 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए एचसीएल के वित्तीय परिणामों के विवरण (एकल और समेकित) को मंजूरी दे दी है और उसी के साथ-साथ उसपर सीमित मूल्यांकन रिपोर्ट अलग से एक्सचेंज को सौंपी गई है।
2. समय की कमी के कारण, बोर्ड द्वारा निम्नलिखित प्रस्तावों पर चर्चा नहीं किया जा सका और स्थगित कर दिया गया :
 - (i) विभिन्न उत्पादों पर बॉन्ड सहित सभी प्रकार के उधार / ऋण के लिए रु.- 2,500/- करोड़ की समग्र उधार सीमा और उधार के लिए आवश्यक सुरक्षा के निर्माण के लिए शेयरधारकों की मंजूरी लेने पर विचार करने और अनुशंसा करने का प्रस्ताव।
 - (ii) सीसीईए द्वारा अनुमोदित एचसीएल की कैपेक्स / विस्तार योजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक या एक से अधिक किशतों में मौजूदा प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 15% तक योग्यताधारी संस्थागत प्लेसमेंट पद्धति के माध्यम से इक्विटी शेयरों के निर्गम द्वारा धन जुटाने हेतु बोर्ड को अधिकृत करने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी लेने पर विचार करने और अनुशंसा करने का प्रस्ताव,
 - (iii) ' विस्तार / कैपेक्स प्लान' और क्यूआईपी जारी करने के स्थान पर 'विस्तार / कैपेक्स प्लान और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य' को पूरा करने के लिए क्यूआईपी के ऑब्जेक्ट क्लॉज को संशोधित करने पर खान मंत्रालय को विचार करने और अनुशंसा करने का प्रस्ताव भेजने,

(iv) विस्तार/कैपेक्स योजना और सामान्य कॉरपोरेट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए समग्रतः रु.- 200 करोड़ की अनिवार्य परिवर्तनीय प्रीफरेंस शेयर रु.-1000/- प्रति अंकित मूल्य के 20 लाख प्रीफरेंस शेयर जारी करने हेतु अनुमति देने के लिए खान मंत्रालय को प्रस्ताव पर विचार करने और अनुशंसा करने,

बोर्ड की बैठक 02.00 बजे अपराह्न प्रारंभ हुई और 06-45 अपराह्न समाप्त हुई ।

यह सेबी (सूचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियमन 30 के अनुसरण में सूचनार्थ प्रस्तुत है ।

धन्यवाद ।

भवदीय,
ह0/-
(सी.एस.सिंघी)
का.नि.(आई.ए.) एवं कंपनी सचिव